



जालोर

Rashtradoot

फोन:- 226422, 226423 फैक्स:- 02973-226424

वर्ष: 19 संख्या: 165

प्रभात

जालोर, शुक्रवार 20 सितम्बर, 2024

पो. रजि. /RJ/SRO/9640/2022-24

पृष्ठ 6

मूल्य 2.50 रु.

2019 के विधानसभा चुनाव में, हरियाणा में आप को नोटा से भी कम वोट मिले थे

तो फिर अब, विधानसभा चुनाव में “आप” हरियाणा की सभी सीटों पर उम्मीदवार क्यों खड़े कर रही हैं?

C
M
Y
K

-शीनंद झा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूरो-

नई दिल्ली, 19 सितंबर। क्या यह मात्र संयोग ही है? एक अप नेता अरविंद केजरीवाल को उनकी पार्टी के हरियाणा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा के तीक एक दिन बाद ही जमानत मिल गई?

वर्ष 2019 के चुनावों में भी आप ने 46 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए थे, पर, पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही बुरा रहा। आप प्रत्याशियों को नोटा से भी कम वोट मिले। चुनाव आयोग के अनुबाल उस चुनाव में आप को 0.53 प्रतिशत वोट मिले थे, तो नोटा को 0.53 प्रतिशत वोट मिले थे।

इस वर्ष के लोकसभा चुनाव में आप ने कुरुक्षेत्र सीट से चुनाव लड़ा पर हार गए, इसलिए आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल द्वारा अप्रत्याशित रूप से

- भाजपा की भाँति आप भी “अरबन सैन्ट्रिक” (शहर उन्मुख) पार्टी हैं। अतः आप पार्टी के उम्मीदवार, शहरी इलाकों में कांग्रेस को पैर पसारने का मौका नहीं देंगे।
- वैसे भी जनता में यह ही छवि है कि आप भाजपा की “बी” टीम हैं। इस “थ्योरी” (सोच) को इस बात से भी बल मिलता है कि क्या यह केवल एक संयोग है कि जिस दिन केजरीवाल ने घोषणा की कि उनकी पार्टी हरियाणा में सभी विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार खड़े करेगी, उसके अगले दिन ही उनको जमानत मिल गयी और वे जेल से रिहा कर दिये गये।

हरियाणा पर जरूरत से ज्यादा जोर देने उनमें प्रमुख है डबबाली, रानिया, पर सबल उठ रहे हैं। शुक्रवार को केजरीवाल जगधारी में अपनी पहली बल्लभगढ़ा। आप सभी ने कहा कि सारजनिक सभा करेंगे। फिर आले कुछ दिनों में वे 11 जिलों में 13 सभाएं करेंगे। जिन जगहों पर उनकी सभा होगी

इसके अलावा गुडगांव पंजाब से

सेवागों में भी आप का प्रभाव है, इस प्रकार आप हरियाणा में तो नीन प्लेयर ही है, इसलिए चर्चा है कि क्या आप से भाजपा का बोट कटोरी या कांग्रेस का? भाजपा को तब आप भी बारी दारा कराएं बार दुकराया हुआ “फेल्ड प्रॉडक्ट” बताया एक उच्चस्तरीय स्तर ने बताया कि जम्मू-कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनावों से जो ग्राउण्डरेट स्पॉली हैं उससे पता चता है कि जनता में कांग्रेस की स्वीकृति बढ़ रही है, लोग इस कांग्रेस का बेहतर

केवल बाल व मनीष सिसोदियाव संजय सिंह सहित 28 आप नेता जेल भेजे गए। इसके बाद भी आप यह धारणा नहीं हटा पा रही है कि यह भाजपा की बी टीम है इसलिए इस बात को लेकर भारी उत्सुकता है कि आने वाले दिनों में केजरीवाल कौन सा रास्ता चुनते हैं।

केवल बाल व मनीष सिसोदियाव संजय सिंह सहित 28 आप नेता जेल भेजे गए। इसके बाद भी आप यह धारणा नहीं हटा पा रही है कि यह भाजपा की बी टीम है इसलिए इस बात को लेकर भारी उत्सुकता है कि आने वाले दिनों में केजरीवाल कौन सा रास्ता चुनते हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नड़ा ने कहा, राहुल “फेल्ड प्रॉडक्ट”

-डॉ. सतीश मिश्रा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूरो-

नई दिल्ली, 19 सितम्बर। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बढ़ी लोकप्रियता से हारा रहा। भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड़ा ने उहें जनता द्वारा बार-बार दुकराया हुआ “फेल्ड प्रॉडक्ट” बताया एक उच्चस्तरीय स्तर ने बताया कि जम्मू-कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनावों से जो ग्राउण्डरेट स्पॉली हैं उससे पता चता है कि जनता में कांग्रेस की स्वीकृति बढ़ रही है, लोग इस कांग्रेस का बेहतर

हरियाणा में भाजपा का चुनाव घोषणा पत्र जारी

भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड़ा ने रोहतक में चुनाव घोषणा पत्र जारी करते हुए 2 लाख युवाओं को नौकरी देने की घोषणा की

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूरो-

नई दिल्ली, 19 सितम्बर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड़ा ने हरियाणा के विधानसभा चुनावों के लिये अपनी पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस घोषणा पत्र में किये गये कुछ बातें इसके बारे में जानकारी हैं। नड़ा ने उहाँ द्वारा दिल्ली के विधानसभा चुनावों के लिये अपनी पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस घोषणा पत्र में किये गये कुछ बातें इसके बारे में जानकारी हैं।

- भाजपा के घोषणा पत्र में सभी महिलाओं को 2100 रुपए मासिक, कॉलेज छात्राओं को स्कूली देने तथा दस लाख रुपए तक का इलाज निशुल्क कराने का वादा किया गया है।
- नड़ा ने कहा, सत्ता में आने पर भाजपा 10 मॉडल औद्योगिक टाउनशिप बनाएगी तथा बी.पी.एल. परिवारों के लिए 5 लाख मकान बनाएगी।

कि कांग्रेस ने भी कहा है। हरियाणा सरकार अनिवारीयों के हरियाणा में गारंटी नौकरी देगी।

नड़ा ने घोषणा पत्र कि सत्ता में आने पर भाजपा 10 मॉडल औद्योगिक टाउनशिप बनाएगी। नड़ा ने कहा कि दिल्ली से चंडीगढ़ तक सड़क यात्रा तथा रेल यात्राओं में सुधार किया जाएगा।

नड़ा ने घोषणा पत्र कि सत्ता में अस्पतालों में निशुल्क डायलोसिस सुविधा अस्पतालों में निशुल्क जाँच-सुविधा उपलब्ध कराना। 10 लाख रु. तक का निशुल्क इलाज सुनिश्चित करना उन्हें एस्पेंड दिल्ली वाला घोषणा पत्र में निशुल्क डायलोसिस द्वारा दिया जाएगा।

नड़ा ने घोषणा पत्र कि सत्ता में अस्पतालों में निशुल्क डायलोसिस द्वारा दिया जाएगा।

नड़ा ने घोषणा पत्र कि सत्ता में अस्पतालों में निशुल्क डायलोसिस द्वारा दिया जाएगा।

नड़ा ने घोषणा पत्र कि सत्ता में अस्पतालों में निशुल्क डायलोसिस द्वारा दिया जाएगा।

नड़ा ने घोषणा पत्र कि सत्ता में अस्पतालों में निशुल्क डायलोसिस द्वारा दिया जाएगा।

नड़ा ने घोषणा पत्र कि सत्ता में अस्पतालों में निशुल्क डायलोसिस द्वारा दिया जाएगा।

नड़ा ने घोषणा पत्र कि सत्ता में अस्पतालों में निशुल्क डायलोसिस द्वारा दिया जाएगा।

नड़ा ने घोषणा पत्र कि सत्ता में अस्पतालों में निशुल्क डायलोसिस द्वारा दिया जाएगा।

नड़ा ने घोषणा पत्र कि सत्ता में अस्पतालों में निशुल्क डायलोसिस द्वारा दिया जाएगा।

नड़ा ने घोषणा पत्र कि सत्ता में अस्पतालों में निशुल्क डायलोसिस द्वारा दिया जाएगा।

नड़ा ने घोषणा पत्र कि सत्ता में अस्पतालों में निशुल्क डायलोसिस द्वारा दिया जाएगा।

नड़ा ने घोषणा पत्र कि सत्ता में अस्पतालों में निशुल्क डायलोसिस द्वारा दिया जाएगा।

नड़ा ने घोषणा पत्र कि सत्ता में अस्पतालों में निशुल्क डायलोसिस द्वारा दिया जाएगा।

नड़ा ने घोषणा पत्र कि सत्ता में अस्पतालों में निशुल्क डायलोसिस द्वारा दिया जाएगा।

नड़ा ने घोषणा पत्र कि सत्ता में अस्पतालों में निशुल्क डायलोसिस द्वारा दिया जाएगा।

नड़ा ने घोषणा पत्र कि सत्ता में अस्पतालों में निशुल्क डायलोसिस द्वारा दिया जाएगा।

नड़ा ने घोषणा पत्र कि सत्ता में अस्पतालों में निशुल्क डायलोसिस द्वारा दिया जाएगा।

नड़ा ने घोषणा पत्र कि सत्ता में अस्पतालों में निशुल्क डायलोसिस द्वारा दिया जाएगा।

नड़ा ने घोषणा पत्र कि सत्ता में अस्पतालों में निशुल्क डायलोसिस द्वारा दिया जाएगा।

नड़ा ने घोषणा पत्र कि सत्ता में अस्पतालों में निशुल्क डायलोसिस द्वारा दिया जाएगा।

नड़ा ने घोषणा पत्र कि सत्ता में अस्पतालों में निशुल्क डायलोसिस द्वारा दिया जाएगा।

नड़ा ने घोषणा पत्र कि सत्ता में अस्पतालों में निशुल्क डायलोसिस द्वारा दिया जाएगा।

विचार बिन्दु

झूठ की सजा यह नहीं कि उसका विश्वास नहीं किया जाता बल्कि वह किसी का विश्वास नहीं कर सकता। -शेक्सपियर

गिरफ्तारी बनाम जमानत (Arrest Versus Bail)

वह युग समाप्त हो चुका है जब 'दोते दोत' अथवा 'आंख के बदले आंख' न्याय का तरीका था। भारत ने जब अपना संविधान बनाया, उस समय ऐसा Universal Declaration of Human Rights (UDHR) से अच्छी तरह परिचित था। देश के लोग समझते थे कि मानव अधिकारों को दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम है सिविल व राजनीतिक अधिकार तथा द्वितीय है आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकार। देश के लोगों ने संकल्प लिया कि सभी को न्याय प्रिलेगों हैं आर्थिक और राजनीतिक। सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय द्वारा हमारे मूल अधिकार (Fundamental Rights) हमारे संविधान के अधिन आंख हैं और इनमें ही निहित हैं, मानव अधिकार। अतः हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मानव अधिकार हमारे मूल अधिकार हैं और वे कोट में प्रतीत हैं। संविधान के चेटर III में मूल अधिकार हैं जो हमारे राजनीतिक अधिकार हैं और चेटर IV में हमारे सामाजिक व आर्थिक अधिकार हैं। सन् 1966 में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव की गिराव को ऊँचा धरताल मिला और दो संघीयों को जन्म हुआ। International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 1966 व International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), 1966 भारतीय संविधान की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 14 व अनुच्छेद 21 को जिनमें समावित Right to Life Je Liberty को बहुत महत्वाकांक्षी ऊँचाईयों तक पहुँचाया है।

फौजदारी कानून के निम्नलिखित मायने सिद्धान्त हैं जिनको पालन करना न्याय के लिये आवश्यक है। ये मान्य सिद्धान्त हमें संविधान के अधिन तथा ICCPR, 1966, Criminal Procedure Code, 1973 में देखने को मिलते हैं:

1) जिस व्यक्ति के विरुद्ध अपराध का चार्ज है वह उस समय तक निर्देश माना जावेगा, जब तक कानून की प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही में वह दोषी नहीं पाया जाता। (ICCPR. Deveg UUo 14(2))

2) प्रत्येक व्यक्ति को Right to Liberty and Security of Person प्राप्त है। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना है उसे गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी के कारण व विवरण दिये जावें। उसे यह भी बताया जायेगा कि उसके विरुद्ध आपों क्या है? उसे 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना आवश्यक है। गिरफ्तारी के अनुच्छेद 9(2)(3)(4)(5)

3) फौजदार व स्पीडी ट्रायल व्यक्ति का मूल अधिकार है।

4) प्रांस्क्रूप्यन को सावित करना होगा कि आरोपी दोषी है, अतः एवं शक का लाभ उपरे प्राप्त होगा।

5) कई देशों में आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जमानत का अधिकार नहीं है। आरोपी जेल में रहेगा, जब तक ट्रायल पूरी नहीं होगी। भारत में दो प्रकार के फौजदारी के हैं। जमानती व गैर जमानती (Bailable or Nonbailable) देश में Antecedent Bail (Ojee 437 Cr.P.C.) का भी प्रावधान है। जमानत देना न देना कोर्ट के विवेक पर निर्भर रहता है। डिलीन शराब नीति/PMLA के मानवान्ती के जैरीवाल को आम आदमी पार्टी के नेताओं दी है। PMLA की धारा 45 के होते हुए भी, जमानत के मूल संदेश को पालना में जमानत ली है और 'BAII' - 'NO JAIL' के सिद्धान्त को धारा 45 में In Bail। मानकर जमानत ली है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डायकटोरेट एपोर्समेंट बानाम दिलीप कुमार थोष, अधिकार वर्गीय, वी स्टेपियल बालाजी के केस में जमानत दी है। कोर्ट ने करार दिया कि गिरफ्तारी कोई गई, इसके विवरण नहीं दिये और स्वयं आरोपी को भी व्यक्तिगत रूप से गिरफ्तारी के कारण जानी वाली तरह अवधि दी गई अवधि है। केजरीवाल व उत्तर साधियों, मरीना सुरियों, संजय सिंह जी की माननीय सुप्रीम कोर्ट के जमानत के बाद इस आधार पर ली है कि परिस्थितियों को देखते हुए केस के शीघ्र निर्णय की दूर-दूर तक कोई संभावना दिखाई नहीं देती अतः Bail दी गई।

UDHR के बाद से जो भी अन्तर्राष्ट्रीय संधियों देशों के बीच में हुई, उनका प्रावधान कार्य या मानव की गतिशीली की जीवन की रक्षा करना अतः यह आवश्यक माना गया कि हस्ताक्षरकर्ता देश अपने अपेक्षाकारों में तर्फ़ीशित विवरण के बाद देश ने अपना संविधान द्वारा करार दिया। एक संघीय अधिकारों को संविधान के विरुद्ध पार्टी को निरस्त करते हैं और इनके प्रावधानों को संविधान के संविधान के विरुद्ध पार्टी को प्रतिष्ठित मनुज साहित्य और कानून के अनुसार समाजन-2024 से विप्रूलित किया जायेगा।

डॉ. ओ.पी. शर्मा चैरिटेबल दस्ट, चूरू द्वारा साहित्य और संगीत को दो हस्तियों बनवारी खामोश और कानून के प्रतिष्ठित मनुज साहित्य और राजस्थान के सुप्रसिद्ध लोककावि, कवि, गालवकार, व्यायकार और लघुकथाकार के रूप में जाने जाते हैं। अनेक पुस्तकों के रचयिता और दर्जनों प्रतिष्ठित पुस्तकों से सम्मानित 70 वर्षीय खामोश की हजार रुपयोगी देश विदेश की प्रति कार्यकारी में बहुतायत से प्रकाशित हुई है। बनवारी खामोश की 1976 से आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा वीर गीत, गजल, नज़मे के बोलने से तालीमी की उपायी गति और संगीत की दुनिया के नामी हस्ताक्षर 83 वर्षीय पंडित कृष्णनन्द व्यास ने सात साल की आयु में संगीत की दुनिया में अपने तबले की आवाज का जादू बिखेरना शुरू कर दिया था। उन्होंने संगीत की महफिल में अनेक बार एक तरफ़ा बनवाल बान्धवारी खामोश हिंदी और राजस्थान के सुप्रसिद्ध लोककावि, कवि, गालवकार, व्यायकार और लघुकथाकार के रूप में जाने जाते हैं। अनेक पुस्तकों के रचयिता और दर्जनों प्रतिष्ठित पुस्तकों से सम्मानित 70 वर्षीय खामोश की हजार रुपयोगी देश विदेश की प्रति कार्यकारी में बहुतायत से प्रकाशित हुई है। बनवारी खामोश की 1976 से आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा वीर गीत, गजल, नज़मे से तालीमी की दुनिया के नामी बोलने से तालीमी गति और संगीत मनीषी पं. जयचंद शर्मा अवार्ड के अलावा पचासी अल्लाह जिलाई बाई स्मृति मांव अवार्ड सहित दर्जनों समाजन प्राप्त कर चुके हैं। जयपुर, पटना, राजीव गांधी जालोरी के आकाशवाणी केंद्रों व जयपुर दूरदर्शन से इनके कार्यक्रम लाइव प्रसारित हो चुके हैं।

गई है। मनीष सिसोदिया व केजरीवाल तथा उनके साथियों को जमानत मिल चुकी है। दिनांक 13.09.2024 के आदेश से माननीय सुप्रीम कोर्ट की खण्डपीठ ने केजरीवाल को सशर्त जमानत दी है।

गई है। मनीष सिसोदिया व केजरीवाल तथा उनके साथियों को जमानत मिल चुकी है। दिनांक 13.09.2024 के आदेश से माननीय सुप्रीम कोर्ट की खण्डपीठ ने केजरीवाल को सशर्त जमानत दी है।

Detention को चेक करने के हेतु पर्याप्त प्रावधान बनाये गये। गिरफ्तारी के आधार पर और उसके विरुद्ध किस अपाराध का चार्ज है। ये बातें स्पष्ट रूप से बतानी जरूरी की गयी हैं। Indian Criminal Procedure Code, 1973 में धारा 41 से धारा 60 तक इस विवरण पर प्रक्रियाओं का वर्णन है। इन्हें संविधान में स्थान देकर मूल अधिकारों को भाग बनाये गये। सबसे बड़ा न्यायकर्ता सर्वोच्च न्यायालय है। डोके बुझ बाल के बेस में धारा 60 के विवरण नहीं दिये गये। इनकी पालना करना आवश्यक है। विस्तृत निर्देश (पेज 36 में 11 निर्देश) देश में जमानती व गैर जमानती को संविधान के अनुच्छेद 22 (2) को संविधान में विचित्र स्थान दिया गया। सबसे बड़ा न्यायकर्ता सर्वोच्च न्यायालय है। इनकी पालना करना आवश्यक है।

केजरीवाल व उनके साथियों के विरुद्ध पार्टी को जमानती दी गई है। मनीष सिसोदिया व केजरीवाल तथा उनके साथियों को जमानत मिल चुकी है। दिनांक 13.09.2024 के आदेश से माननीय सुप्रीम कोर्ट की खण्डपीठ ने केजरीवाल को सशर्त जमानत दी है। मनीष सिसोदिया को भाग बनाये गये। सबसे बड़ा न्यायकर्ता सर्वोच्च न्यायालय है। इनकी पालना करना आवश्यक है। विस्तृत निर्देश (पेज 36 में 11 निर्देश) देश में जमानती व गैर जमानती को संविधान के अनुच्छेद 22 (2) को संविधान में विचित्र स्थान दिया गया। सबसे बड़ा न्यायकर्ता सर्वोच्च न्यायालय है। इनकी पालना करना आवश्यक है।

दिनांक 05.09.2024 को केजरीवाल के केस में खण्डपीठ के बाद जमानत मिल चुकी है। संघीय अधिकारों को जमानती दी गई है। मनीष सिसोदिया व केजरीवाल तथा उनके साथियों को जमानत मिल चुकी है। दिनांक 13.09.2024 के आदेश से माननीय सुप्रीम कोर्ट की खण्डपीठ ने केजरीवाल को सशर्त जमानत दी है। मनीष सिसोदिया को भाग बनाये गये। सबसे बड़ा न्यायकर्ता सर्वोच्च न्यायालय है। इनकी पालना करना आवश्यक है। विस्तृत निर्देश (पेज 36 में 11 निर्देश) देश में जमानती व गैर जमानती को संविधान के अनुच्छेद 22 (2) को संविधान में विचित्र स्थान दिया गया। सबसे बड़ा न्यायकर्ता सर्वोच्च न्यायालय है। इनकी पालना करना आवश्यक है।

दिनांक 05.09.2024 को केजरीवाल के केस में खण्डपीठ के बाद जमानत मिल चुकी है। संघीय अधिकारों को जमानती दी गई है। मनीष सिसोदिया व केजरीवाल तथा उनके साथियों को जमानत मिल चुकी है। दिनांक 13.09.2024 के आदेश से माननीय सुप्रीम कोर्ट की खण्डपीठ ने केजरीवाल को सशर्त जमानत दी है। मनीष सिसोदिया को भाग बनाये गये। सबसे बड़ा न्यायकर्ता सर्वोच्च न्यायालय है। इनकी पालना करना आवश्यक है। विस्तृत निर्देश (पेज 36 में 11 निर्देश) देश में जमानती व गैर जमानती को संविधान के अनुच्छेद 22 (2) को संविधान में विचित्र स्थान दिया गया। सबसे बड़ा न्यायकर्ता सर्वोच्च न्यायालय है। इनकी पालना करना आवश्यक है।

दिनांक 05.09.2024 को केजरीवाल के केस में खण्डपीठ के बाद जमानत मिल चुकी है। संघीय अधिकारों को जमानती दी गई है। मनीष सिसोदिया व केजरीवाल तथा उनके साथियों को जमानत मिल चुकी है। दिनांक 13.09.2024 के आदेश से माननीय सुप्रीम कोर्ट की खण्डपीठ ने केजरीवाल को सशर

